# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)

**(प्रशासन गॉवो के संग अभियान ग्रा0प0 मख्यालय घासोली)**

पीठासीन अधिकारी :– श्री ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस. किशनगढबास

| दावा सं. | प्रवेश तिथि | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 51/20 | 20.8.20 | 30.11.21 |

**उनवान**

1–अशोक कुमार गुप्ता पुत्र श्री हरद्वारी प्रसाद गुप्ता कोम महाजन निवासी ग्राम घासोली तहसील किशनगढबास अलवर हाल निवासी जेड–25, हनुमान मार्ग सुमेर नगर विस्तार, धनवतरी हॉस्पिटल के पीछे, न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर, जयपुर राजस्थान

:– **प्रार्थी** :–

**बनाम**

1–राजस्थान् सरकार जरिये तहसीलदार साहब (भू. अ.) किशनगढबास तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान ।

:– **अप्रार्थी**

**प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 ले.रे.एक्ट :–**

आज पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प ग्राम पं0 मुख्यालय घासोली पर पेश हुई।प्रार्थनापत्र के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार है –आराजी ख0न0 919 रकबा 2800 हे0 चाही 1, जाव दर्ज खाता सं0 437 स्थित वाके ग्राम घासोली किशनगढबास जिला अलवर राज0 में स्थित है। आराजी उक्त में प्रार्थी का 1/2 दर 1/3 हिस्सा यानि 1/6 हिस्सा 0.0466हे0 हिस्सा मिन प्रार्थी का कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है। जमाबंदी 2075 संलग्न है।

आराजी उक्त मिन प्रार्थी के पिताजी ने खरीद की थी, जिस समय आराजी खरीद की गई उस समय प्रार्थी एक नाबालिग था जिसके कारण उक्त आराजी खरीद करते समय प्रार्थी के पिता ने प्रार्थी का नाम हेतराम दर्ज करवा दिया, जो नाम प्रार्थी के पिताजी ने अपनी सरपरस्ती में दर्ज करवाया था। आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम हेतराम दर्ज हो रहा है, जो नाम गलत दर्ज हो रहा है।, जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम अशोक कुमार गुप्ता है प्रार्थी के आधार कार्ड सं0 2937,2773,8254 में प्रार्थी का नाम अशोक कुमार गुप्ता दर्ज हो रहा है। तथा प्रार्थी के शैक्षणिक दस्तावेजात माध्यमिक शिक्षाबोर्ड राजस्थान की अंकतालिका मे प्रार्थी का नाम अशोक कुमार गुप्ता दर्ज हो रहा है। प्रार्थी के आधार कार्ड व अंक तालिका की फोटो प्रति संलग्न प्रार्थनाा पत्र है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि आराजी ख0न0 919 रकबा 0.2800 हे0 आराजी ख0न0 919 रकबा 2800 हे0 चाही 1 जाव दर्ज खाता सं0 437 स्थित वाके ग्राम घासोली किशनगढबास जिला अलवर राज0 में स्थित है। ताहाल राजस्व रिकार्ड तक प्रार्थी के गलत नाम अंकन हेतराम के अंकन को अजफ किया जाकर मुताबिक दस्तावेज आधार कार्ड, अंकनतालिका, सरपंच ग्राम पंचायत घासोली, के अनुसार प्रार्थी का सही व पूरा नाम अशोक कुमार गुप्ता दर्ज किये जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद तामिल उपस्थित नही हुआ । पत्रावली प्रशासन गांवो के संग कैम्प मुख्यालय घासोली पर पेश हुई प्रार्थी व अप्रार्थी को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात दस्तावेज आधार कार्ड, अंकनतालिका, सरपंच ग्राम पंचायत घासोली एवं कैम्प में उपस्थित आम खास लोगो से जानकारी ली गई जिन्होने प्रार्थी का सही नाम अशोक कुमार गुप्ता बताया । अतःपत्रावली में संलग्न दस्तावेजात एवं सरपंच ग्राम पचायत के अनुसार प्रार्थी का सही नाम अशोक कुमार किया जाना कानूनी एवं न्यायसंगत है।

उप जिला कलेक्टर
किशनगढ–बास (अलवर)

अतः आदेश है कि :—

प्रार्थी का प्रार्थनाा पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आराजी ख0न0 0 919 रकबा 2800 हे0 चाही 1 जाव दर्ज खाता सं0 437 स्थित वाके ग्राम घासोली किशनगढबास जिला अलवर राज0 में स्थित राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के गलत नाम **हेतराम** के अंकन को हजफ किया जाकर। सही नाम **अशोक कुमार गुप्ता उर्फ हेतराम** पुत्र हरद्वारी प्रसाद किये जाने के आदेश दिये जाते है । तदनानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावें। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार किशनगढबास को भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर लेख भण्डार रहे।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)